

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2013

**सा.का.नि. 38.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग संगठन (ज्येष्ठ मानचित्रिय सहायक) भर्ती नियम, 1987 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के अधीन भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण में ज्येष्ठ मानचित्रिय सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण (ज्येष्ठ मानचित्रिय सहायक) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन सहित	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ मानचित्रिय सहायक	3* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. में ऐसे कनिष्ठ मानचित्रीय सहायक जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो ।

**टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

**टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति पर विचार करने के लिए ) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

1. मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण —अध्यक्ष
2. प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन/वर्षा आधारित कृषि प्रणाली प्रभाग, कृषि और सहकारिता विभाग का उपायुक्त —सदस्य
3. अवर सचिव, प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन/वर्षा आधारित कृषि प्रणाली प्रभाग, कृषि और सहकारिता विभाग —सदस्य
4. सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, मुख्यालय कार्यालय, भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण —सदस्य

[ फा. सं. 16-1/2009-एनआरएम-II ]

भीम सिंह, अवर सचिव (एनआरएम)

टिप्पण : मूल भर्ती नियम तारीख 11-6-77 को प्रकाशित सा.का.नि. 718 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् तारीख 26-3-1981 को प्रकाशित सा.का.नि. 375 द्वारा संशोधन किया गया ।

385 26/13-18

New Delhi, the 8th February, 2013

**G.S.R. 38.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Soil and Land Use Survey Organisation (Senior Cartographic Assistant) Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Cartographic Assistant in the Soil and Land Use Survey of India under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation), namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Soil and Land Use Survey of India (Senior Cartographic Assistant) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said posts, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band, Pay Scale with Grade Pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Cartographic Assistant	3* (2013) (*Subject to variation dependent on workload.)	General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-2, Rs.9300—34800 (Grade Pay Rs. 4200)	Selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
(7)		(8)		(9)	
Not applicable		Not applicable		Two years	

<b>Method of recruitment :</b> Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
---	---

(10)

(11)

By promotion

**Promotion :**

Junior Cartographic Assistant in PB-1 in the pay scale of Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 2800 with Six years regular service in the grade.

**Note :** Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
---	---

(12)

(13)

**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—**

Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

- |  |           |
|--|-----------|
| (1) Chief Soil Survey Officer, Soil and Land Use Survey of India   | —Chairman |
| (2) Deputy Commissioner of the Natural Resource Management/Rainfed Farming System Division, Department of Agriculture and Co-operation | —Member   |
| (3) Under Secretary (Natural Resource Management/ Rainfed Farming System) Division, Department of Agriculture and Co-operation         | —Member   |
| (4) Assistant Soil Survey Officer, Headquarters Office, Soil and Land Use Survey of India  | —Member   |

[F. No. 16-1/2009-NRM-II]

BHIM SINGH, Under Secy. (NRM)

**Note :** The principal recruitment rules have been notified vide G.S.R. 718 published on 11-6-1977 and amended vide G.S.R. 375 published on 26-3-1981.